का वार्षिक नवीकरण करवाना उनसे विज्ञापन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है ; और

(ख) यदि हां, तो नवीकरण पत्रों को 31 जुलाई, 1992 तक जारी न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि विभाग द्वारा नवीकरण फार्म 28 अप्रैल, 1992 को या उससे पहले एकत्र कर लिए गए थे और पिछले नवीकरण पत्र की अवधि 30 जून, 1992 को समाप्त हो चुकी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में 4000 से अधिक समाचारपत्र/पत्रिकाएं थीं, जिनसे "अनुबंध नवीकरण" के लिए ब्यौरा मांगा गया था तथा यह प्रक्रिया मई, 1992 के प्रारंभ से शुरू कर दी गई थी । उन सभी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को, जो पैनल में रखे जाने के मानदंडों को पूरा करते थे 1 जुलाई, 1992 से प्रभावी दर के अनुबंध पत्र भेजने का काम जुलाई, 1992 के मध्य से शुरू कर दिया गया है ।

डी.ए.वी.पी. द्वारा देय बकाया राशि

4758. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून 1992 की स्थिति के अनुसार डी.ए.वी.पी. को समाचार पत्रों की कुल कितनी राशि देनी बाकी है ; और

(ख) यह भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) 30 जून 1992 को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के नाम समाचारपत्रों की देय कुल राशि का सही-सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता । क्योंकि निदेशालय द्वारा समाचारपत्रवार लेखे नहीं रखे जाते । तथापि, भुगतान की प्रक्रिया को दोषरहित बनाया जा रहा है । आशा है कि सभी बकाया बिलों का भुगतान अविलम्ब कर दिया जाएगा ।

श्रीनगर दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले टेलीविजन सीरियल तथा प्रायोजित कार्यक्रम

4759. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 से लेकर 1992 की अवधि तक श्रीनगर (कश्मीर) दूरदर्शन पर कितने टेलीविजन सीरियल तथा प्रायोजित कार्यक्रम दिखाए गए;

(ख) उस अवधि के दौरान दिखाये गए कार्यक्रमों के निर्माताओं को कितनी धन राशि अदा की गई है तथा प्रत्येक निर्माता को किए गए भुगतान का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों को अनुमोदित करने तथा उनके लिए भुगतान करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए कोई समिति गठित की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण उपमंत्रालय में मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) दूरदर्शन केन्द्र श्रीनगर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित नहीं किए जाते ।

(ख) इस अवधि के दौरान कमीशंड कार्यक्रमों के लिए किए गये भुगतान का निर्माता-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. श्री रवि गोयल 14 लाख रुपए
2. श्री आयश आरिफ 4 लाख रुपए
3. श्री जमीर अशाय 3.5 लाख रुपए